तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्पेशल अपील/एल आर/1124/2005/नागौर **श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम सरकार**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Nor Official

एकल–पीठ
श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह स्पेशल अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 के अन्तर्गत मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 15–2–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–4–2000 से रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित कर ग्राम आसलसर की गत खसरा नम्बर 52 रकबा 48बीघा 14विस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 68 रकबा 5बीघा 18विस्वा,69 रकबा 5बीघा 18 विस्वा को अप्रार्थीगण की खातेदारी से विलोपित कर मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 15–2–05 के द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी से विलोपित कर मन्दिर श्री सालगराम जी की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह स्पेशल अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि रेफरेन्स के विचाराधीन रहते हुये अप्रार्थी किशनाराम का स्वर्गवास दिनांक 6–1–02 को हो चुका था। रेस्पो. की ओर से किशनाराम के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके अभाव में इस न्यायालय का निर्णय मृत पक्षकार के विरूद्ध होने से विधि विरूद्ध है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>स्पेशल अपील/एल आर/1124/2005/नागौर</u>** **<u>श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनका तर्क है कि मण्डल से अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना ने नामान्तरकरण संख्या 6,11,12,31 व 32 व इसके बाद में कौन से नामान्तरकरण हुये हैं उनको निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रेषित नहीं किया जबकि इन नामान्तरकरणों से प्रभावित पक्षकारान को भी सुना जाना आवश्यक था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 85 की पालना नहीं की गई है। रेफरेन्स पत्रावली में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनसे यह साबित नहीं होता है कि रेफरेन्स में लिप्त भूमि कब मन्दिर की खुदकाश्त भूमि रही जो आगे चलकर मन्दिर की खातेदारी में दर्ज हो गई हो। साक्ष्य के अभाव में रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। इसलिये मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–2–05 निरस्त किया जावे।

5– बहस के खण्डन में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2010–13 पत्रावली में उलपब्ध है जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की आराजी है। मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। जिस पर पुजारी अथवा किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिये मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत है। स्पेशल अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मण्डल की एकल पीठ द्वारा दिनांक 15–2–05 को विद्वान उप राजकीय अभिभाषक व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनकर रेफरेन्स को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। हालाकि मण्डल की एकल पीठ द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। मण्डल की एकल पीठ के समक्ष उस समय यह तथ्य ध्यान में नहीं लाया गया कि अप्रार्थी किशनाराम फौत हो चुका है और न ही उस समय उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है। स्पेशल अपील के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>स्पेशल अपील/एल आर/1124/2005/नागौर</u>** **<u>श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसमें किशनाराम की मृत्यु दिनांक6–1–02 को होना बताया गया है। चूँकि अब न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य लाया जा चुका है कि किशनाराम की मृत्यु मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय से पूर्व हो चुकी थी इसलिये मृतक के विरूद्ध पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी भजदास के नाम कैसे दर्ज हुई और उसके बाद नामान्तरकरण संख्या 31 से खातदेारी किशनाराम गीगाराम के नाम किस प्रकार दर्ज हुई, इस बाबत क्रमवार अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को क्रमवार पत्रावली में संलग्न कर रेफरेन्स प्रेषित किया जाना चाहिये था।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्पेशल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–2–05निरस्त किया जाता है। प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना जिला नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यह रेफरेन्स मण्डल में वर्ष 2000 में प्रेषित किया गया था जो काफी पुराना हो चुका है इसलिये वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रेफरेन्स से सम्बन्धित समस्त अभिलेख पत्रावली में संलग्न कर नये सिरे से इस निर्णय की तिथी से दो माह के अन्दर रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित करें। अपीलार्थी/अप्रार्थीगण को अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में दिनांक 28–3–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>स्पेशल अपील/एल आर/1124/2005/नागौर</u>** **<u>श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए